भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

(हबीबगंज डेयरी प्लांट भोपाल)

(म.प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

हबीबगंज डेयरी संयंत्र हबीबगंज भोपाल – 462 024 म0प्र0 (भारत)

क्रमांक /1340/भोदुसं/प्रशा/20 दिनाँक 24/11/2020

:: CORRIGENDUM ::

:: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्रों हेतु सुरक्षा ठेका ई–निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय) क्रमांक 11571 दिनांक 12.10.2020 तथा टेंडर आई. डी. क्रमांक **2020_MPCDF_110961_1** में आंशिक संशोधन सूचना :

समस्त संभावित निविदाकारो को सूचित किया जाता है कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा जारी ई–निविदा क्रमांक 11571 दिनांक 12.10.2020 की कंडिकाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, शेष नियम व शर्ते यथावत रहेगी :–

1. निविदा प्रपत्र (अ) की कंडिका क्रमांक की (1) व (11.1) में तथा अनुबंध में सुरक्षा ठेका निविदा अवधि दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष तथा निविदा अवधि पूर्ण होने पर एक वर्ष के स्थान पर अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी का संशोधन किया जाता है।

2. निविदा प्रपत्र (अ) की कंडिका क्रमांक (8.7) तथा निविदा प्रपत्र (ब) के प्रपत्र 01 की तकनीकी अर्हता के बिन्दु क्र. 10 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

कं0	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण देवें
10	"प्रतिष्ठित औद्योगिक/ वाणिज्यक संस्था में गत 05 वित्तीय वर्ष 2014–2015, 2015–2016 तथा 2016–2017, 2017–18 एवं 2018–19 में ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 150 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय किये हों, जिसमें से 100 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय का एक सिंगल अनुबंध (कार्यानुभव) होना अनिवार्य है। (संस्था का नाम व पता जहॉं सुरक्षा प्रदाय किये गये हों)"	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र।	

3. निविदा प्रपत्र (अ) की कंडिका क्रमांक की (17.1) के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

17. दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेसीयों से पृथक–पृथक स्थितिवार की जावेगी :–

17.1 **(ii)** – वाहन में परिवहन के लिये डेरी डॉक से वाहन पर दूध एवं दूध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डाक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनो संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में "दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 03 पार्टीयों (पक्षो) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड तीनो एजेंसीज (पक्षो) पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड तीनों पार्टीयों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रो में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

17.2 **(ii)** – दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शायी गयी मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसीज यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रो में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 02 पार्टीयों (पक्षो) क्रमशः वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनो एजेंसीज (पक्ष) पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड दोनो पार्टीयों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रो में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

4. निविदा (ब) के प्रपत्र (1) की तकनीकी अर्हता के बिन्दु क्र. 11 व 12 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र0	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण देवें
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2014–2015, 2015–2016 एवं 2016–2017, 2017–18 एवं 2018–19 में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2014–2015, 2015–2016 एवं 2016–2017, 2017–18 एवं 2018–19 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)